सतर्कता दृष्टिकोण या अन्य प्रकार के निर्धारण हेतु स्पष्ट निदेश प्रदान करते हैं तथापि यह देखा गया है कि कभी-कभी, संबंधित अधिकारियों द्वारा इसे सही तरीके से समझा नहीं जाता है और कर्मचारियों पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती है। इस कारण दिशानिर्देशों और अनुदेशों का सही तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इस विषय में और अधिक परिचालनगत स्पष्टता की जरूरत महसूस की गई। सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार कड़ाई से सतर्कता दृष्टिकोण के निर्धारण के लिए एक मानक परिचालन कार्यविधि (एसओपी) बनाई गई है।

4. सीवीसी के मौजूदा दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, अनुशासनात्मक मामलों की संवीक्षा करने व सतर्कता दृष्टिकोण या अन्य दृष्टिकोण का निर्धारण करने और सीवीओ को पत्राचार द्वारा सूचित करने के लिए आंतरिक सलाहकार समिति (आइएसी) का गठन किया गया है। वर्तमान में, बैंक में एक द्विस्तरीय संरचना है, जैसे एक आईएसी कॉरपोरेट केंद्र में है जो टीईजीएस-VI और ऊपर के सभी अधिकारियों और सीसीजी/सीएजी/आईबीजी/पीएफएसबीयू से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों की जाँच करता है और दूसरा आईएसी प्रत्येक मंडल में है, जो अवार्ड स्टाफ और स्केल V तक के अधिकारियों से संबंधित मामलों की जांच करता है। आइएसी देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आपके बैंक में कार्यरत हैं, अतः कई बार यह देखा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में चूक समान स्तर का होने के बावजूद उनके सतर्कता दृष्टिकोण में अंतर होता है। इसे देखते हुए, आइएसी को कॉरपोरेट केंद्र में केंद्रीकृत किया गया है, ताकि सतर्कता या गैर-सतर्कता के रूप में मामलों के वर्गीकरण में किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो सके। एक स्वतंत्र और केंद्रीकृत व्यवस्था उचित निर्णय लेने में सहायक होगी और यह मामलों के समुचित निपटान पर विशेष ध्यान देगी, जिससे अंततः समय-सीमा में सुधार होगा।

5. सतर्कता विभाग ने 214 निवारक सतर्कता कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 4005 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। निवारक उपायों को प्रभावी बनाने के लिए 764 शाखाओं में स्वतः संज्ञान लेकर जांच की गई है।

6. वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान, हमने प्रौद्योगिकी आधारित वीसीटीएस (विजिलेंस केस ट्रैकिंग सिस्टम) की शुरूआत की है। वीसीटीएस मामलों को समय पर बंद करने के लिए एमआइएस सृजन करने में सक्षम होगा। यह सतर्कता मामलों के विश्लेषण के लिए और प्रभावी ढंग से प्रकरणों की निगरानी के लिए उनके इतिहास पर भी नज़र रखेगा।

7. वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान, कुल 1993 मामलों (1278 नए मामलों सहित) की जांच की गई थी, जिनमें से 1185 मामले बंद हो चुके हैं।

7. आस्ति एवं देयता प्रबंधन

बैंकों के सतत और गुणात्मक विकास के लिए आस्तियों और देयताओं (एएलएम) का कुशल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। एएलएम का उद्देश्य बाजार की गतिशीलता की सक्रिय रूप से समीक्षा करके, तुलन पत्र को मजबूत करना है, जिसमें से निकलने वाले संकेतों पर कब्जा करना और मूल्य सृजन सुनिश्चित करने के लिए विनियामक आवश्यकताओं का आकलन करना है।

उत्तम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के एक हिस्से के रूप में, आपका बैंक 'जमाओं', 'आस्ति एवं देयता प्रबंधन', 'तरलता एवं ब्याज दर जोखिमों पर दबाव जांच', 'आकस्मिकता निधीयन योजना' पर अपनी आंतरिक नीतियों की लगातार समीक्षा कर रहा है और बाजार की स्थितियों में बदलावों को अपना रहा है। बैंक सबसे खराब स्थिति के रूप में सामने आने वाले संभावित जोखिम का ध्यान रखने के लिए 'विपरीत दबाव जांच' करवा रहा है।

तरलता की स्थिति का आकलन करते हुए आस्तियों और देयताओं की गैर-संविदात्मक मदों के उचित उपचार के लिए ग्राहकों के व्यवहार पैटर्न (ग्राहकों के लिए उपलब्ध विकल्प) का आकलन करने के लिए नियमित अंतराल पर अध्ययन किए जाते हैं। तरलता और ब्याज दर संवेदनशीलता बयानों की रिपोर्टिंग के लिए तुलनपत्र इतर प्रदर्शन, संभावित ऋण नुकसान आदि के कारण बहिर्वाह/अंतर्वाह की सटीक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार विश्लेषण भी किया जाता है। आस्तियों और देयताओं की गैर-संविदात्मक मदों से संबंधित प्रचलित धारणाएँ नवीनतम अध्ययनों के परिणामों के आधार पर समय-समय पर अद्यतन की जाती हैं।

उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) और नकदी बहिर्वाह के स्टॉक पर गतिशील बाजार के वातावरण के तहत दैनिक आधार पर प्रभावी रूप से निगरानी रखी जाती है, ताकि बैंक की एएलएम पॉलिसी बेंचमार्क के साथ-साथ विनियामक द्वारा निर्धारित एलसीआर का रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके।

आपके बैंक ने तरलता के मामले में बैंक के दीर्घकालिक लचीलेपन को मापने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के एनएसएफ़आर दिशानिर्देशों को सक्रियता से लागू किया है, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो रहा है।

श्री हरीश भिमानी, लेखक, प्रस्तोता और फिल्म निर्माता को हिंदी के प्रचार - प्रसार में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए बैंक के अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार प्रशस्ति पत्र प्रदत्त कर रहे हैं

आपके बैंक ने पूर्व-परिभाषित सहिष्णुता सीमाओं के साथ आय पर जोखिम (ईएआर) और इक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव का आकलन करने के लिए एक उन्नत तरीका अपनाया है, जो उनके साथ जुड़े जोखिमों को निर्धारित करता है और प्रबंधन को शुद्ध ब्याज आय में क्षरण की संभावना वाले परिदृश्य में उचित निवारक कदम उठाने में सक्षम बनाता है।

शाखाओं को स्थिर निधियां प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने और धन की लागत के आधार पर उनकी लाभप्रदता का आकलन करने के लिए, आपके बैंक द्वारा एक समतुल्य परिपक्वता आधारित निधि अंतरण मूल्यन को लागू किया गया था।

आपके बैंक की, आस्ति एवं देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), तुलन पत्र में आस्ति और देयता प्रबंधन मिश्रण को लगातार संशोधित करके तरलता और ब्याज दर का प्रबंधन करती है। इसके साथ-साथ, एएलसीओ, समय-समय पर ब्याज दरों के परिदृश्यों, देयता उत्पादों के विकास पैटर्न, ऋण वृद्धि, प्रतिस्पर्धी लाभ, तरलता प्रबंधन, विनियामक के निर्देशों के पालन और देयताओं और आस्तियों के मूल्य निर्धारण की समीक्षा करता है।

तुलन पत्र संरचना में अंतर्निहित कठोरता और 1 मई 2019 से प्रभावी आरबीआई की पॉलिसी दरों में त्वरित बदलाव के मुद्दे से निपटने के लिए आपके बैंक ने, बचत बैंक जमाओं (1 लाख रुपये से अधिक शेष वाली) और अल्पावधि ऋण (1 लाख रुपये से अधिक की सीमा वाले नकदी ऋण खाते और ओवरड्राफ्ट) के मूल्य निर्धारण को बाहरी बेंचमार्क यानी पॉलिसी रेपो रेट जोड़ने का बीड़ा उठाया।

1 अक्तूबर 2019 से प्रभावी, बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दर पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के बाद, सभी फ्लोटिंग दर वाले खुदरा और एमएसएमई ऋणों का मूल्य निर्धारण बाहरी बेंचमार्क यानी पॉलिसी रेपो रेट से जोड़ दिया गया है। हालांकि, बचत बैंक जमा दरों को रेपो रेट से जोड़ना जारी है।

आस्ति एवं देयता प्रबंधन (देशी स्थिति) के क्षेत्र से संबंधित विनियामक रिपोर्टें/विवरणियाँ अब से ओएफएसएए के माध्यम से स्वचालित हो गए हैं और शीघ्र ही पूरे बैंक की स्थिति स्वचालित होने की उम्मीद है।

8. सदाचार और व्यवसाय आचरण

सदाचार और व्यवसाय आचरण विभाग की स्थापना के बाद से ही आपका बैंक सभी स्तरों पर सदाचार मूल्यों के उत्सर्जन एवं उनके प्रसार तथा उच्च व्यवहार मानदंडों के अनुरूप विभिन्न पहलों एवं कार्यक्रमों का कर्ता-धर्ता बना हुआ है। चाहे हमारे नए विजन, मिशन व मूल्यों के अभिकथन और सदाचार संहिता जैसे आधारभूत मूल मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्माण हो, अथवा परिणाम प्रबंधन, यौन उत्पीड़न निवारण (पॉश) या सोशल मीडिया जैसे विभिन्न क्षेत्रों के वर्तमान परिचालन दिशानिर्देश हों, आपके बैंक की कार्यशैली का मूल दर्शन तत्काल व दूरंदेशी दोनों ही स्थितियों में सजग, सचेत व सामंजस्यपूर्ण रहा है। पुनः, बैंक में सदाचार के एक मजबूत ढाँचे को आकार देने के लिए इसके समर्थन में विभिन्न प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं, ताकि हमारी क्षमता को महत्तर नैतिक बल प्रदान किया जा सके। बैंक ने खुद को भविष्य हेतु तैयार करने के लिए हर वर्ष सुचिंतित उपाय-नीति अपनाकर नियमित और निर्बाध रूप से अपने सुसंचालित कार्यक्रमों और परिचालन प्रक्रियाओं में नवीनतम तकनीकी प्लेटफॉर्म को अपनाया है। निश्चय ही इससे बैंक में संचालित और प्रस्तावित सदाचार की विभिन्न वर्धमान पहलों के विस्तार, आकार और पहुँच में भारी असर पड़ा है।

वर्ष 2019-20 में हमारे द्वारा सदाचार और व्यवसाय आचरण की एक व्यापक वेबसाइट विकसित और प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत वन स्टाप प्लेटफॉर्म पर सुविचारित सदाचार स्रोतों की विस्तृत सरणी दी गई है, ताकि बड़ी संख्या में कर्मचारीगण इसका लाभ उठा सकें। अनुशासन प्रबंधन कार्य की निपुणता और प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने के लिए कुछ नई पहलें शुरू की गई हैं और बैंक की अनुशासन प्रबंधन पारिस्थितिकी की दक्षता को बढ़ाने संबंधी समर्थक प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। इस संदर्भ में, बैंक में एक रियल टाइम तथा व्यापक व्यवसाय आचरण एवं अनुशासन प्रबंधन ऑनलाइन प्रोसेसिंग पोर्टल तथा डैशबोर्ड की कल्पना की गई, उसे डिजाइन किया गया और चालू किया गया। ज्ञानवर्धन और मार्गदर्शन के अगले संवर्धन/अनुपूरक प्रयासों के रूप में अनुशासन प्रबंधन फ्रेमवर्क के विशेष कार्यक्षेत्र में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों के लिए वर्ष भर नियमित रूप से एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया।

यह दोहराना आवश्यक नहीं होगा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण के मामले में आपका बैंक बिल्कुल भी सहन न करने (जीरो टोलरेंस) वाली नीति का पक्षधर है और वह लिंग के आधार पर भेदभाव रहित कार्य परिवेश प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। इसके लिए बैंक ने कार्य-स्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न निवारण संबंधी अपनी नीति व प्रक्रिया को 'गरिमा' नाम से अभिहित किया है। इस नीति व प्रक्रिया को कारगर और सरल बनाने के लिए बैंक ने रियल टाइम 'गरिमा' ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का भी शुभारंभ किया है, जो इससे संबंधित शिकायतों को दूर करने के साथ ही इस प्रक्रिया से जुड़े लोगों में कौशल निर्माण का कार्य भी करेगा।

आपके बैंक जैसे विशाल आकार और विस्तार वाले संगठन के लिए सदाचार मूल्यों को आत्मसात् करना तथा सदाचारमयी अनुगुंजित संस्कृति का निर्माण करना एक दीर्घ-कालिक प्रक्रिया है। तथापि, अपनी तीन वर्षों की संक्षिप्त यात्रा में ईमानदार इरादों तथा बेहिचक कदमों के चलते इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं, जो हमारे हर पिछले कदम की सफलता की कहानी बयां करते हैं और सुबह से शाम तक हमारी ब्रांड को सशक्त बनाने में अपना अवदान करते हैं।

9. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

एसबीआई की संस्कृति में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गहरे रूप से समा गया है। बैंक 1973 से सीएसआर गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। बैंक के सीएसआर दर्शन का प्राथमिक उद्देश्य देश के आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से चुनौती प्राप्त समुदायों के जीवन पर सार्थक और मापने योग्य प्रभाव बनाना है। बैंक की सीएसआर गतिविधियां देश भर में लाखों गरीबों और जरूरतमंदों के जीवन को छूती हैं।

बैंक के सीएसआर गतिविधियों के केंद्र में स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, राष्ट्रीय धरोहरों का पर्यावरण संरक्षण, महिला, युवा तथा वरिष्ठ नागरिकों का सशक्तिकरण इत्यादि शामिल हैं।

प्रोजेक्ट के तौर पर की जानेवाली सीएसआर गतिविधियां एसबीआई फाउंडेशन के तहत की जाती हैं, जो 2015 में स्थापित एसबीआई का सीएसआर पक्ष है, जिसे "सेवा से परे बैंकिंग" की बैंक की परंपरा के माध्यम से भारत में एक प्रमुख सीएसआर संस्थान बनने की दृष्टि से स्थापित किया गया था। अपने अस्तित्व के पिछले चार वर्षों के दौरान,